

# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्ववाद संख्या :- 62/2024

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

गेनाराम पुत्र खरथाराम जाति प्रजापत

निवासी भलखाड़ी तहसील सिणधरी

1. खेताराम पुत्र चुनाराम

2. चेनी पत्नी चुनाराम जाति ढाढी

निवासी भलखाड़ी तहसील

सिणधरी

3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 3 के पैरोकार सरकार उप।
3. शेष प्रतिवादीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 15.05.2025

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वादग्रस्त खेत मौजा भलखाड़ी के खसरा संख्या 151/75 रकबा 4.4778 हैक्टियर तहसील सिणधरी भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 14.01.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उपस्थित पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम भलखाड़ी तहसील सिणधरी की भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर  
SDO सिणधरी

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	बरंग
1	गेनाराम पुत्र खरगीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	भलखाड़ी	151/75	1.2745	बा.अ.	हरा
2	खेताराम पुत्र चूनाराम 4/5 चेनी पत्नी चूनाराम जाति ढाढी सा. हेद खातेदार	भलखाड़ी	151/75	3.1386	बा.अ.	केसरिया
3	रा. सरकार	भलखाड़ी	151/75	0.0647	गै.मु रास्ता	पीला

तहसीलदार,सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।



निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)सिणधरी